न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मेड़ता

बईजलास श्री हीरालाल मीना, आ.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 439/2018

वादी :– हनुमानराम पुत्र श्री बाबुलाल, जाति जाट, निवासी दधवाड़ा, तहसील मेड़ता, जिला नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. राजुराम पुत्र श्री बाबुलाल
2. बाबुलाल पुत्र श्री भागीरथ
   जातियान जाट, निवासीगण दधवाड़ा
   तहसील मेड़ता जिला नागौर
3. तहसीलदार, मेड़ता।
4. पटवारी, पटवार हल्का, दधवाड़ा।

वाद बाबत बंटवाड़ा, घोषणा खातेदारी एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 53, 88 व 188 आर.टी. एक्ट

निर्णय दिनांक :–29.08.2018

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वकील वादी ने दावा बाबत बंटवाड़ा, घोषणा खातेदारी एवं रेकर्ड दुरूस्ती का पेश कर निवेदन है किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 सगे भाई है, प्रतिवादी संख्या 2, वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता है, एक ही परिवार के सदस्य है तथा हिन्दू है व हिन्दू विधि की बनारस स्कूल से गर्वन होते है। मौजा दधवाड़ा की सरहद में खेत खसरा नम्बर 372 रकबा 2.72 हैक्टेयर किस्म चा–2, खसरा नम्बर 464 रकबा 0.01 हैक्टेयर किस्म बारानी–गै.मु. ट्यूबवैल, खसरा नम्बर 465 रकबा 0.07 हैक्टेयर किस्म गै.मु. मकान, खसरा नम्बर 466 रकबा

Scanned by CamScanner

4.43 हैक्टेयर किस्म चाही–2, खसरा नम्बर 871/458 रकबा 1.06 हैक्टेयर किस्म बारानी–2, खसरा नम्बर 984/416 रकबा 0.5633 हैक्टेयर किस्म बारानी–2, प्रतिवादी संख्या 2 की खातेदारी के आये हुए है। खतौनी नकल सम्वत् 2072 से 2075 साथ में पेश है। उपरोक्त खसरान का मौका पर वादी व प्रतिवादीगण के बीच बंटवाड़ा किया हुआ है। मगर बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स नही होने से यह वाद पेश है। मौके पर बंटवाड़ा अर्जीदावा के पैरा संख्या 3 में वर्णितानुसार है। उक्त बंटवाड़ा के अनुसार ही वादी व प्रतिवादीगण मौके पर काबिज है, उसके बावजूद भी वादी के नाम बंट के अनुसार खातेदारी दर्ज होने से वादी के.सी.सी. व अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित हो रहा है, जिससे बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स नही हुआ होने के कारण उक्त वाद श्रीमान के समक्ष पेश करना लाजमी हुआ, सो वाद पेश है। वादी व प्रतिवादीगण का उपरोक्त बंटवाड़ा अनुसार अलग–अलग बंट घोषित किया जाकर राजस्व रेकर्ड में अलग–अलग खातेदारी दर्ज की जाकर राजस्व नक्शा में अलग–अलग दर्शाई जावें, जिस हेतु यह घोषणा खातेदारी व रेकर्ड दुरूस्ती का वाद पेश करना लाजमी होने से वाद पेश है। अतः अर्जीदावा के पैरा संख्या 9 अनुसार दावा डिक्री फरमाया जावें।

2. वादी ने अपने पक्ष समर्थन में मौजा दधवाड़ा की जमाबंदी सम्वत् 2072 से 2075, खाता संख्या 215, 414, नक्शा ट्रेस, शपथ–पत्र वादी हनुमानराम तथा प्रतिवादी बाबुलाल की प्रतियां पेश की।
3. दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन वास्ते जवाबदेही तलब किया गया। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का सम्मन तारीख पेशी 09.08.2018 को तामील सुदा प्राप्त, आवाज लगायी गई

Scanned by CamScanner

अनुपस्थित रहने से दिनांक 09.08.2018 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी है।

4. विद्वान वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई जिसमें उनका मुख्य तर्क यह है कि प्रश्तगत भूमि पक्षकारान की पैतृक है। जिसका पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से राजीनामा कर लिया है। अतः माफिक राजीनामा दावा डिक्री फरमाया जावें।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। वादग्रस्त भूमि का पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से राजीनामा कर लिया है। अतः माफिक राजीनामा दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

आदेश

6. **(1) वादी हनुमानराम के बंट में :–** मौजा दधवाड़ा की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 466 रकबा 4.43 हैक्टेयर में से 1/2 उत्तरी हिस्सा, खसरा नम्बर 984/416 रकबा 0.5633 हैक्टेयर में से 1/2 पूर्वी हिस्सा, खसरा नम्बर 871/458 रकबा 1.06 हैक्टेयर में से 1/3 हिस्सा उत्तरी हिस्सा बंट में खातेदारी में रहेगा।

6. **(2) प्रतिवादी संख्या 1 राजुराम के बंट में :–** मौजा दधवाड़ा की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर खसरा नम्बर 466 रकबा 4.43 हैक्टेयर में से 1/2 दक्षिणी हिस्सा, खसरा नम्बर 984/416 रकबा 0.5633 हैक्टेयर में 1/2 पश्चिमी हिस्सा, खसरा नम्बर 871/458 रकबा 1.06 हैक्टेयर मे से 1/3 मध्य हिस्सा बंट व खातेदारी में रहेगा।

6. **(3) प्रतिवादी संख्या 2 बाबुलाल के बंट में :–** खेत खसरा नम्बर 372 रकबा 2.72 हैक्टेयर सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 871/458 रकबा 1.06 हैक्टेयर में से 1/3 दक्षिणी हिस्सा बंट व खातेदारी में रहेगा।

Scanned by CamScanner

6. (4) वादी व प्रतिवादी संख्या 1 राजुराम के बंट में :— मौजा दधवाड़ा के खेत खसरा नम्बर 464 रकबा 0.01 हैक्टेयर गै.मु. ट्यूबवैल व खसरा नम्बर 465 रकबा 0.07 हैक्टेयर गै.मु. मकान बंट व खातेदारी में रहेगा।

7. बंटवाड़े की स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार मेड़ता यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो, अन्यथा आदेश नही हो, विधिक बाधा नही तथा भूमि रहन नही हो तो नियमानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद जाब्ता कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.08.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

हीरालाल मीना
उपखण्ड अधिकारी,
मेड़ता

Scanned by CamScanner